



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-29092026-276592
CG-WB-E-29092026-276592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4935]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4935]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व रेलवे)
(आर.एस.पी. विभाग)
अधिसूचना

कोलकाता, 16 सितम्बर, 2026

का.आ. 5141(अ).— लवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा उक्त भूमि, मयूरभंज जिले में “एल.सी. संख्या 60 के स्थान पर आर.ओ.बी. का निर्माण” नामक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए अधिग्रहित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त भूमि के अधिग्रहण तथा रेलवे अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए इसके उपयोग पर आपत्ति कर सकता है;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, रासगोविंदपुर, के समक्ष को एल.सी. संख्या 60 के स्थान पर आर.ओ.बी. का निर्माण (केवल मयूरभंज जिला के लिए) लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें आपत्ति के आधारों का उल्लेख किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिक व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई तथा आवश्यक जांच करने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;
इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि की योजनाएँ तथा आच्छादित क्षेत्र का विवरण उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी रासगोविन्दपुर के तहसीलदार के उपर्युक्त कार्यालय में उसका निरीक्षण कर सकता है।

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, जिसमें संरचनाएँ हों अथवा न हों, जो सड़क सुरक्षा परियोजनाओं के अंतर्गत एल.सी. संख्या 60 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) के निर्माण के लिए आवश्यक है, निम्नानुसार है -

एल.सी. संख्या 60 के स्थान पर आर.ओ.बी. के निर्माण(केवल बनसातोफा मौजा) हेतु भूमि अनुसूची, अमरदा रोड-बस्ता रेलवे स्टेशन के बीच, मयूरभंज जिला, ओडिशा राज्य											
क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्राम	पुलिस थाना	खाता सं.	प्लॉट सं.	भाग/पूर्ण प्लॉट	प्लॉट का क्षेत्रफल (एकड़)	अधिग्रहण हेतु क्षेत्रफल (एकड़)	भूमि का वर्गीकरण
1	ओडिशा	मयूरभंज	रासगोविंदपुर	बनसातोफा	मोरडा-189	8	2444	भाग प्लॉट	1.42	0.518	आशु
2						8	2450		1.27	0.214	आशु
3						8	2451		0.23	0.148	सरदा -II
4						427/347	2458/ 2990		1.36	0.001	सरदा-II
5						427/347	2456		0.41	0.234	सरदा -II
6						8	2454		0.8	0.253	सरदा-II
7						428	2455		0.3	0.093	Road
8						8	2362		1.06	0.304	घरबारी
9						8	2359		1.75	0.01	घरबारी
10						428	1998		2.98	0.011	रोड
कुल									11.6	1.786	

[फा. सं. दपूरे/कॉन/आरएसपी/मुख्यालय/आरओबी/ओडी/एसआरपी/9]

अनिल कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Eastern Railway)

(RSP DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th September, 2026

S.O. 5141(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of **Special Railway Projects** namely, “**Construction Of ROBs in Lieu of LC No.60**” in the districts of **Mayurbhanj** in the State of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Tahasildar, Rasgobindapur for ROB in lieu of LC No. 60 (Mayurbhanj District portion) in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as, the Competent Authority thinks necessary by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and the details of the covered area under this notification are available and can be inspected by the interested person at the office of the competent Authority (Tahasildar of Rasgobindapur).

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land For Road Safety Projects in lieu of LC No. 60(Mayurbhanj District Portion) for construction of Road Over Bridge (ROB) in the State of Odisha. Land schedule is furnished below:

LAND SCHEDULE for Construction of ROB in Lieu of LC No.60 (only for Bansatofa Mouza) between AMARDA ROAD- BASTA RLY Station in the Mayurbhanj District of ODISHA State											
Sl No.	State	District	Block	Village	Police Stn.	Khata No.	Plot No.	Part/ Full Plot	Total Area Plot(in Acre)	Area to be Acquire (in Acre)	Classifica- tion of land
1	Odisha	Mayurbhanj	Rasgobindapur	Bansatofa	Morada-189	8	2444	Part Plot	1.42	0.518	Ashu
2						8	2450		1.27	0.214	Ashu
3						8	2451		0.23	0.148	Sarada-II
4						427/347	2458/ 2990		1.36	0.001	Sarada-II
5						427/347	2456		0.41	0.234	Sarada-II
6						8	2454		0.8	0.253	Sarada-II
7						428	2455		0.3	0.093	Road
8						8	2362		1.06	0.304	Gharbari
9						8	2359		1.75	0.01	Gharbari
10							428	1998		2.98	0.011
Total									11.6	1.786	

[F. No. SER/Con/RSP/HQ/ROB/OD/SRP/9]

ANIL KUMAR, Chief Admin Officer (Con)